

क/र/०
12-4

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

प्रेषक,

नवीन कुमार मिश्र
संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक आयुक्त उत्पाद,
पटना।

पटना, दिनांक:- 12-4-12

विषय:- सर्वश्री स्कौल ब्रिवरीज लि० (यूनिट हरियाणा ब्रिवरीज), पटना के लेबुलों को बिहार राज्य में बिक्री (आपूर्ति) हेतु वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1288 दिनांक 02.04.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सर्वश्री स्कौल ब्रिवरीज लि० (यूनिट हरियाणा ब्रिवरीज), पटना के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदित भारत निर्मित बीयर के निम्नलिखित लेबुलों को आयुक्त उत्पाद, बिहार के आदेश से नवीकृत किया जाता है।

क्र०	ब्राण्ड/लेबुल का नाम	मात्रा (एम० एल० में)	पूर्व का निबंधन सं० एवं वर्ष	वर्ष 2012-13 के लिए नवीकरण संख्या एवं वर्ष
1	दी ओरिजनल हैवर्ड्स 5000 स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	2125/11-12	2125/12-13
2	दी ओरिजनल हैवर्ड्स 5000 स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	500 (केन)	2221/11-12	2221/12-13
3	दी ओरिजनल हैवर्ड्स 5000 गोल्ड स्ट्रॉग बीयर (5% से उपर एवं 8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	2430/11-12	2430/12-13
4	फोस्टर्स लेगर बीयर (5 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	2126/11-12	2126/12-13
5	नौक आउट हाईपंच स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2469/11-12	2469/12-13
6	दी ओरिजनल हैवर्ड्स 5000 स्ट्रॉग प्रिमीयम बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2605/11-12	2605/12-13
7	फोस्टर्स स्ट्रॉग बीयर (8 प्रतिशत भी० भी० के अंदर)	650	N 2610/11-12	2610/12-13

शर्तें :-

- उपरोक्त लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने की मान्यता अवधि दिनांक 31.03.2013 तक रहेगी। लेबुलों को व्यवहार में लाये जाने के पूर्व वर्ष 2012-13 के लिए नवीकृत इन सभी लेबुलों पर निबंधन/नवीकरण संख्या एवं वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
- वार्षिक संभावित बिक्री से अधिक बिक्री होने पर नवीकरण शुल्क के अगले स्लेव के आधार पर अंतर की राशि को जमा करना होगा।
- प्रत्येक लेबुल पर वैधानिक चेतावनी "ड्रीकिंग लीकर इज इन्ज्युरियस टू हेल्थ" लाल सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।
- अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विश्वासभाजन,

(नवीन कुमार मिश्र)

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।